एकसाथ चुनाव:

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONE NATION ONE ELECTION)

संदर्भ (Context):

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एकसाथ चुनाव कराने और अगले चरण में आम चुनाव के **100** दिनों के भीतर नगर निगम और

पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश की है।

1. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लाभ और हानि क्या हैं?

लाभ:

लाभ:	विश्लेषण

चुनाव व्यय में कमी	• 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (**ONOE**) प्रति वर्ष अलग-अलग चुनाव कराने पर होने वाले भारी खर्च को कम करेगा। • वर्ष **2009** के लोकसभा चुनाव कराने की लागत लगभग **1,115** करोड़ रुपये थी. • वर्ष **2014** के लिए, यह लागत तीन गुना से भी अधिक लगभग **3,870** करोड़ रुपये हो गई। • सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार, **2019** के लोकसभा चुनाव में **₹55,000** करोड़ (लगभग **8** बिलियन अमेरिकी डॉलर) का खर्च आया, जिससे यह दुनिया का सबसे महँगा चुनाव बन गया।
सुशासन	• बार-बार चुनावों की समस्या लंबे समय तक आचार संहिता लागू करने की ओर ले जाती है, जिससे सामान्य शासन व्यवस्था प्रभावित होती है। इस प्रकार एकसाथ चुनाव से ऐसे मुद्दे दूर हो जाते हैं। • एकसाथ चुनाव होने से पूर्व निर्धारित अवधि के लिए बार-बार होने वाले चुनावों से प्रभावित होने वाले सामान्य सार्वजनिक जीवन के व्यवधानों से निपटने में मदद मिलेगी।
मतदान प्रतिशत में वृद्धि	• विधि आयोग के अनुसार, ONOE मतदाता भागीदारी बढ़ाता है। • ONOE यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं को कई दौर के मतदान का सामना न करना पड़े, जिससे मतदाताओं की सुविधा के कारण मतदान प्रतिशत

	बेहतर होता है।
मतदाता की थकान (उदासीनता) में कमी	• 'मतदाता थकान' की घटना मतदाताओं में उदासीनता और अरुचि पैदा करती है। चुनावों की पुनरावृत्ति के कारण मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती पेश करती है।
शिक्षण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव में कमी	● बार-बार चुनाव होने से चल रही शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ● चूँकि शिक्षक और राज्य के शासकीय कार्मिक निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आदि में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अतः नियमित शिक्षण कार्य, परीक्षाओं का आयोजन एवं परिणामों का प्रकाशन जैसे कार्य बाधित होते हैं। ● उदहारण UPSC CSE 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को आम चुनाव 2024 के कारण पूर्वनिर्धारित आयोजन से स्थगित कर विलंबित किया गया है। ● एकसाथ चुनाव होने से शिक्षण क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि कम शिक्षक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
सभी के लिए समान दशाएँ	● चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

हानियाँ:

हानियाँ	विश्लेषण
संविधान के बुनियादी संरचना के सिद्धांत के विरुद्ध	● यह तर्क दिया गया है कि राज्य विधानमंडल को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता के बाद से एकसाथ चुनाव कराना संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। ● संविधान में प्रावधान है कि लोक सभा और राज्य विधान सभा दोनों का कार्यकाल "जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए" पाँच साल का होगा।
ईवीएम और वीवीपैट की	● एकसाथ चुनाव के लिए लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटर-

आवश्यकता	वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की आवश्यकता होगी। 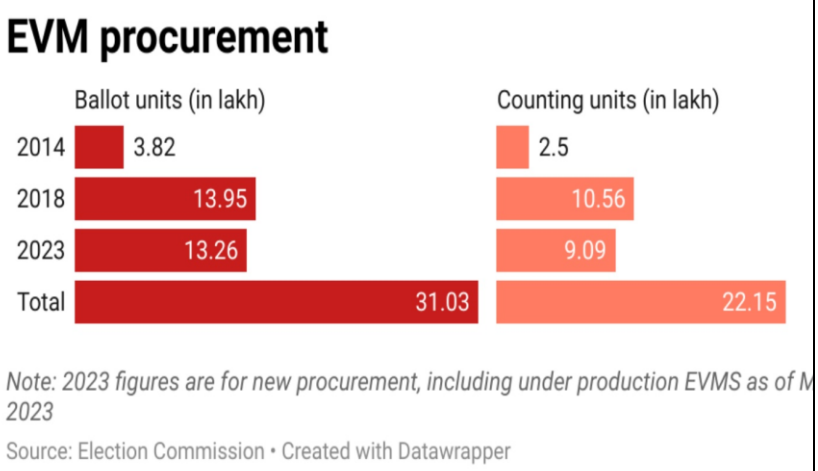
संघवाद को कमज़ोर करता है:	● भारत के संघीय ढाँचे का आधार भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा दी गई थी। ● इस ढाँचे को बाद में सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीन सूचियों के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ● भारतीय संघवाद भौगोलिक विचारों पर आधारित नहीं है बल्कि यह व्यवस्थित और संरचनात्मक सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों को आपस में जोड़ते हैं। एकसाथ चुनाव

	होने से संघवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
त्रिशंकु संसद/विधानसभा की स्थिति से निपटने में असमर्थता:	● राजनीतिक दलों द्वारा रखे गए तर्कों में से एक यह था कि एकसाथ चुनाव होने की स्थिति में त्रिशंकु संसद/विधानसभा की समस्या को हल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ● यह एक परिदृश्य को दर्शाता है जिसमें एक अकेले राजनीतिक दल या चुनाव से पहले बने गठबंधन के पास विधायी सदन या विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या में निर्वाचित सदस्यों का अभाव होता है।
अपराध दर में वृद्धि हो सकती	● यदि बड़ी संख्या में अर्धसैनिक या पुलिस बलों को चुनाव-संबंधी गतिविधियों पर तैनात किया जाता है तो इससे कानून और व्यवस्था का संकट पैदा हो

है:	सकता है जिससे अपराध दर में वृद्धि हो सकती है।
लॉजिस्टिक चुनौतियाँ	● सभी राज्यों और केंद्र सरकार को कार्यक्रम, संसाधनों के समन्वय सहित बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
क्षेत्रीय भिन्नताएँ:	● चुनावों को एकसाथ करने से क्षेत्रीय भिन्नताओं का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा जा सकता है।
मानवशक्ति की आवश्यकता	● चुनाव कराना महँगा तो है ही साथ ही इसमें मानवशक्ति जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। ● वर्ष 2014 के आम चुनाव में, अकेले मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की संख्या 37,31,897 थी, जिसमें सुरक्षा और अन्य कर्मियों की बड़ी संख्या को शामिल नहीं किया गया था।

भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (वर्ष 1999):	● इसमें लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एकसाथ चुनाव कराने की पद्धति की ओर इशारा किया गया था। जो 1967 से पहले प्रचलित थी, उसे विभिन्न कारकों के कारण व्यवधानों का सामना करना पड़ा। ○ इनमें संविधान के अनुच्छेद 356 का बार-बार लागू होना और मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभाओं को भंग करना शामिल है।
लागत (Cost) संबंधी विचार	● ECI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एकसाथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। ● लोकसभा से लेकर स्थानीय निकाय तक सभी चुनावों पर कुल खर्च **10** लाख करोड़ रुपये है।

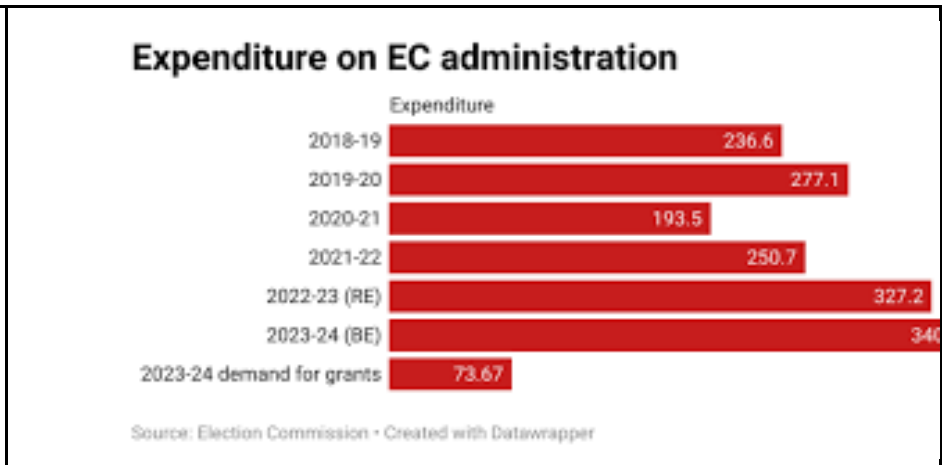

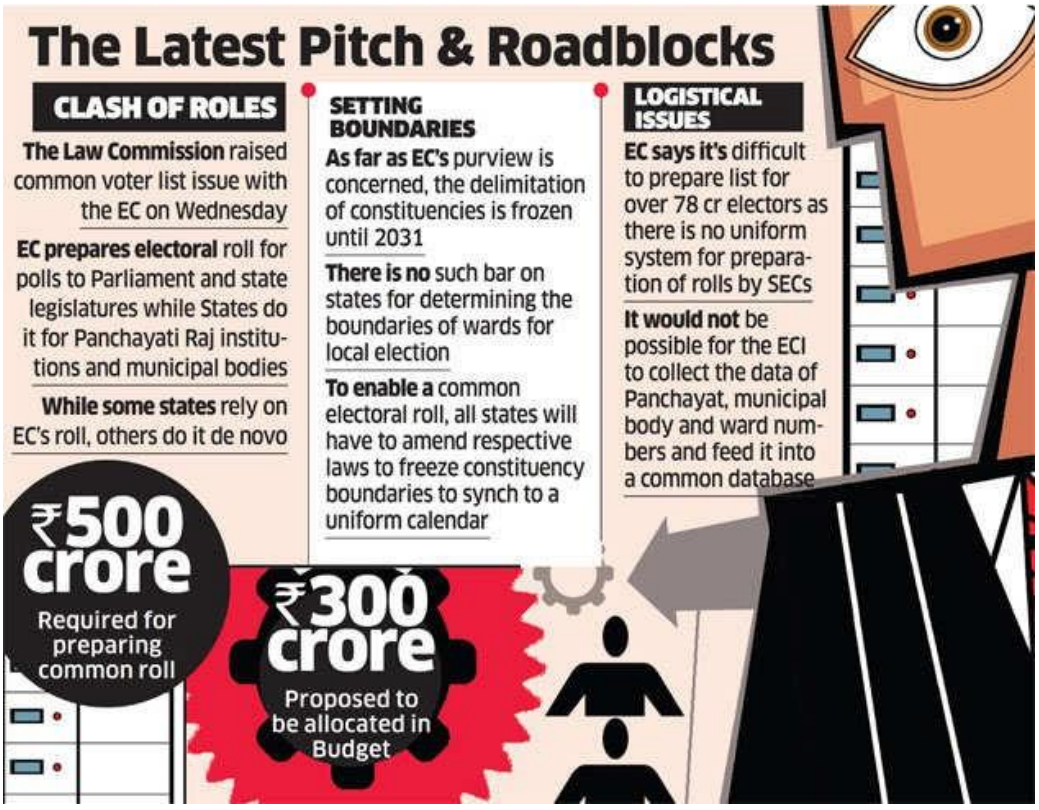

2.एकसाथ चुनाव कराने का इतिहास क्या है?

- भारत में एकसाथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है।
- लोकसभा का पहला आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव 1951-52 में एकसाथ आयोजित किये गये थे।
- इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में हुए तीन चुनावों में भी यह जारी रहा।
- सरकार द्वारा एकसाथ चुनाव कराने का विचार दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम के अलावा यूरोपीय आर्थिक और नवाचार महाशक्ति स्वीडन से लिया गया था।
- स्वीडन की काउंटी और नगरपालिका परिषदों के चुनाव प्रत्येक चार साल में आम चुनावों (रिक्सडैग के चुनाव) के साथ-साथ होते हैं।

3. एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्यों है विपक्ष की चिंता?

- जिन 47 राजनीतिक दलों ने एकसाथ चुनाव कराने पर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल को अपनी राय दी, उनमें से 32 ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया।
- समर्थन में मौजूद 32 पार्टियों में से, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभी दल या तो बीजेपी की सहयोगी हैं, या पार्टी के प्रति मित्रवत हैं।

- इंडिया ब्लॉक के सभी 10 दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं।

Parties in favour and against simultaneous polls, by alliance

Alliance	No. of parties in favour	No. of parties in against
NDA	26	1
INDIA	0	10
No alliance	6	4
Total	32	15

Political strength of parties in favour and against

There are a total 543 MPs and 4,126 MLAs

	MPs	MLAs	2019 LS vote share
Parties in favour	347	1,947	48.3%
Parties against	117	1,460	35.9%
NDA parties in favour	332	1,768	44.7%
INDIA parties against	104	1,424	31.6%

एकसाथ चुनाव का विरोध करने वाले दलों द्वारा दिए गए तर्क:

दल	तर्क
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	● एकसाथ चुनाव लागू करने से संविधान की मूल संरचना में व्यापक बदलाव आ जाएगा। ● संघवाद प्रभावित होगा। ● संसदीय लोकतंत्र के ध्वस्त होने का खतरा। ● जिस देश में सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई हो वहां एकसाथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। ● कांग्रेस ने बार-बार चुनाव कराने की लागत पर बचाए गए खर्च के तर्क को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि "लोग इस छोटी राशि को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लागत मानने को तैयार होंगे।"
आम आदमी पार्टी	● इन्होंने तर्क दिया कि एकसाथ चुनाव "सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप को संस्थागत बना देगा जिसे अविश्वास मत से हटाया नहीं जा सकता,"।
तृणमूल कांग्रेस	● इन्होंने एक राष्ट्र, एक चुनाव के संवैधानिक और संरचनात्मक निहितार्थों पर सवाल उठाया। ● इन्होंने एकसाथ चुनाव को बुनियादी चुनावी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ बताया.
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	● इनका मानना है कि ON-OE असंवैधानिक है। ● इन्होंने एकसाथ चुनावों पर चर्चा करने के लिए केंद्र

(DMK)	सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को भी "अवैध" बताया और इसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।
समाजवादी पार्टी	● इनका मानना है कि एकसाथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जायेंगे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	● इसने इस अवधारणा को "मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक" बताया। और कहा कि यह "संविधान में निर्धारित संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ पर प्रहार करता है"

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

4. एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए कौन से प्रावधानों की आवश्यकता है?

राम नाथ कोविंद समिति की सिफारिशें:

- चुनावों को सहकालिक (synchronize) बनाने के लिए, राम नाथ कोविंद समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति, आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, एक 'नियुक्त तिथि' निर्धारित करें। यह तिथि नए चुनावी चक्र की शुरुआत को चिह्नित करेगी।
- राज्य विधानसभाएँ, जिनका गठन नियत तिथि के बाद और लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले होता है, का समापन आगामी आम चुनाव से पहले होगा।
- इसके बाद लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ होंगे।
- पैनल ने सिफारिश की कि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन सदन का कार्यकाल "केवल सदन के पूर्ण कार्यकाल से ठीक पहले के असमाप्त [शेष] कार्यकाल के लिए होगा"।

- जब विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाएँ - जब तक कि जल्दी भंग न हो जाएं - लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेंगी।

- इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए, पैनल ने निम्नलिखित में संशोधन की सिफारिश की है:

➢ अनुच्छेद **83** (संसद के सदनों की अवधि)

➢ संविधान का अनुच्छेद **172** (राज्य विधानमंडलों की अवधि)।

➢ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।"

राज्यों द्वारा अनुसमर्थन (Ratification by States)

पैनल ने निम्नलिखित में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश की:

- संविधान का अनुच्छेद 324A पंचायतों और नगर पालिकाओं में एकसाथ चुनाव की अनुमति देता है
- अनुच्छेद 325 भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की अनुमति देता है।
- इन दोनों संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- कुल मिलाकर, संविधान और अन्य क़ानूनों में 18 संशोधन सुझाए गए हैं।

- समिति द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यान्वयन समूह की भी सिफारिश की गई है।

अन्य संशोधनों की आवश्यकता (Other Amendments needed**)**

भारत के विधि आयोग (अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान) की एकसाथ चुनाव 2018 पर रिपोर्ट के अनुसार:

- **अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion):** आयोग ने कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो लोकसभा/राज्य विधानसभा के कार्यकाल में कटौती हो सकती है। इसने उचित संशोधनों के माध्यम से 'अविश्वास प्रस्ताव' को 'रचनात्मक अविश्वास मत' (constructive vote of no-confidence) से बदलने की सिफारिश की। अविश्वास के रचनात्मक मत में, सरकार को केवल तभी हटाया जा सकता है जब वैकल्पिक सरकार को विश्वास प्राप्त हो।
- **त्रिशंकु सदन/विधानसभा (Hung House/ Assembly**): यदि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं होता है, तो इसका परिणाम त्रिशंकु सदन/विधानसभा हो सकता है। इसे रोकने के लिए, आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्रपति/राज्यपाल को अपने चुनाव पूर्व या बाद के गठबंधन के साथ सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। यदि फिर भी सरकार नहीं बन पाती है तो गतिरोध सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। यदि ऐसा नहीं हो पता है तो मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। आयोग ने सिफारिश की कि यह प्रावधान करने के लिए उचित संशोधन किए जाएं कि मध्यावधि चुनावों के बाद गठित कोई भी नई लोकसभा/विधानसभा केवल पिछले कार्यकाल के शेष भाग के लिए गठित की जाएगी, न कि पूरे पाँच वर्षों के लिए।

- **दल-बदल विरोधी कानूनों में संशोधन (52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से दसवीं अनुसूची):** आयोग ने सिफारिश की कि दल-बदल विरोधी कानूनों में उचित संशोधन किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अयोग्यता के मुद्दों (दल-बदल से उत्पन्न) का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा छह महीने के भीतर किया जाए।

- वर्तमान में, भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संचालन लिए जिम्मेदार है, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोगों द्वारा किया जाता है।

5. क्या संविधान एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था प्रदान करता है?

संवैधानिक प्रावधान	के संबंध में
संविधान का भाग V **और भाग** VI	● भारत के संविधान में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के गठन के प्रावधान किये गए हैं। ● संविधान के भाग V का अध्याय II लोक सभा की संरचना, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता की योग्यता और इसके सत्रावसान और विघटन सहित संसद के सत्रों के लिए प्रावधान करता है। ● भाग VI के अध्याय III में राज्य विधानमंडल के

	संबंध में इसी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ● अनुच्छेद 83 और 172 में प्रावधान है कि "जब तक कि इसे जल्दी (कार्यकाल से पहले) भंग न किया जाए" लोकसभा और प्रत्येक विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। ● अनुच्छेद 83(2) और 172(1) क्रमशः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की अधिकतम अवधि प्रदान करते हैं। ● अनुच्छेद 85 और 174 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल समय-समय पर लोकसभा/विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ● अनुच्छेद 163, (2) और (3) यह स्पष्ट करते हैं कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह के बिना ऐसा कर सकते हैं और यह प्रश्न "किसी भी न्यायालय में" नहीं उठाया जा सकता है। ● जब राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार करेगा। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद् पर लागू होने वाले अनुच्छेद 163 में इतना संशोधन नहीं किया गया था और राज्यपाल स्वयं कार्य कर सकते थे, अर्थात् उनके विवेक पर "किसी भी न्यायालय में" प्रश्नगत नहीं किया जा सकता था।

संविधान का भाग XV	● भाग XV में निर्वाचन का वर्णन किया गया है, जो निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य सौंपे गए हैं। ● अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करता है। ● अनुच्छेद 327 संसद को केंद्र और राज्य दोनों में विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। ● अनुच्छेद 327 संसद को संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन (या किसी भी सदन) के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वगैरह शामिल है। ● अनुच्छेद 328 किसी राज्य की विधानमंडल को राज्यों के विधानमंडलों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है, बशर्ते संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हो।

संविधान का भाग VIII	● भाग **VIII** (अनुच्छेद **239** से **242**), 'संघ राज्यक्षेत्रों' से संबंधित है। ● अनुच्छेद **239-A** संघ राज्यक्षेत्र पुदुचेरी के विशेष संदर्भ में कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद् या दोनों के निर्माण का प्रावधान करता है।
संविधान का भाग IX **और** IXA	● भाग **IX,** जिसमें अनुच्छेद **243** से **243-O** शामिल है, और भाग **IXA,** जिसमें अनुच्छेद **243P** से **243ZG** शामिल है, ये क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों से संबंधित है। ● अनुच्छेद **243 K** में पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के पास होने के संबंध में प्रावधान है। ● अनुच्छेद **243 ZA** में नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची की तैयारी पर नियंत्रण रखने वाले राज्य चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान है।

6 एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या आवश्यकता है ?

आवश्यकता	विश्लेषण
बेहतर प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित	● आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण बार-बार होने वाले चुनावों का सबसे बड़ा नुकसान विकास और शासन को होता है।

करने के लिए	● एकसाथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित हो जाएगा।
नीतिगत पंगुता से बचना	विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) में पाया गया कि बार-बार होने वाले चुनावों से नीति की निरंतरता बाधित होती है, राजनीतिक फोकस खंडित होता है और राष्ट्र पर अत्यधिक लागत थोपी जाती है। नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा, आदर्श आचार संहिता हटाए जाने तक अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और सरकारी परियोजनाओं की प्रगति से समझौता किया जाता है।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संवर्धन	महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया के अनुसार, गोवा में एकसाथ चुनाव कराने से बाहरी प्रचारकों के लिए अवसर सीमित होकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
संसाधनों का विपथन	● 2019 में 17वीं लोकसभा (लोकसभा) के चुनाव के दौरान, भारतीय निर्वाचन आयोग ने देशभर में 12,03,800 मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतदान अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए लगभग 70 लाख कर्मियों की सेवाएँ लीं। ● यह प्रति मतदान केंद्र पर औसतन लगभग 6 कर्मियों के बराबर है। ● इससे उनका ध्यान उनकी मूल जिम्मेदारियों से हट जाता

	है। ● एकसाथ चुनाव से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसी मशीनरी और संसाधनों को कम बार तैनात किया जाए।

7. किन देशों में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था है?

देश	निर्वाचन प्रावधान
दक्षिण अफ्रीका	• विधानसभा के सदन या निचले सदन और प्रांतीय परिषदों का चुनाव एकल-सदस्यीय चुनावी प्रभागों में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग द्वारा किया जाता है। • राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावी प्रणाली "पार्टी-सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व" पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि पार्टियों को चुनावी समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। • प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रांतीय और नगरपालिका परिषदों के लिए चुनाव होते हैं।
ब्रिटेन	• ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता और पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम (FTPA), 2011 पारित किया गया था। • FTPA के तहत पहला चुनाव 7 मई 2015 को हुआ था।
स्वीडन	● स्वीडन आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों को उनके वोट के हिस्से के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में कई सीटें सौंपी जाती हैं। ● उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहाँ संसद (रिक्सडैग), काउंटी परिषदों और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही

	समय में होते हैं। ● ये चुनाव प्रत्येक चार साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं जबकि नगरपालिका विधानसभाओं के चुनाव सितंबर के दूसरे रविवार को प्रत्येक पाँच साल में एक बार होते हैं।
इंडोनेशिया	● संवैधानिक न्यायालय ने माना कि इंडोनेशिया 2019 से राष्ट्रपति चुनाव और विधायी चुनाव एकसाथ आयोजित करेगा, इस आधार पर कि 2008 का कानून क्रमांक 42 संवैधानिक प्रावधान के विपरीत था। ● इसके बाद, इंडोनेशिया एकसाथ चुनाव करा रहा है, एक ऐसी प्रणाली जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोनों राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विधायी निकायों के सदस्य एक ही दिन चुने जाते हैं।
फ़िलिपींस	● फिलीपींस में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। यह 1992 में पारित एक अधिनियम, जिसे गणतंत्र अधिनियम संख्या 7056 कहा जाता है, के आधार पर एकसाथ चुनावों की प्रणाली का अनुसरण करता है, जिसने 1995 में शुरू होने वाले समकालिक और एकसाथ राष्ट्रीय और स्थानीय चुनावों का मार्ग प्रशस्त किया। ● प्रत्येक तीन साल में राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, जिसमें कार्यकाल सीमा, चुनाव

	अवधि, नामांकन प्रक्रियाओं और चुनाव पर आयोग की भूमिका पर विशिष्ट प्रावधान होते हैं।

8. एक राष्ट्र एक चुनाव का राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

राष्ट्रीय दल	क्षेत्रीय दल
● एकसाथ चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के पक्ष में हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिक संसाधन और मार्ग हैं। इससे संभावित रूप से देश में क्षेत्रीय दल हाशिये पर चले जायेंगे। ● एकसाथ चुनाव होने से, राष्ट्रीय दल विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपने प्रचार प्रयासों का समन्वय कर सकते हैं। ● यह समन्वय लगातार संदेशन और रणनीतियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है, साथ ही अभियान प्रयासों के प्रभाव को	● 1967 के चुनावों और 2014 और 2019 में कुछ राज्यों में एकसाथ हुए चुनावों के परिणाम बताते हैं कि जब एकसाथ चुनाव होते हैं तो मजबूत क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनावों में फायदा होता है। ● ऐसी घटना विभाजित मतदान के कारण होती है, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अलग-अलग मतदान शहरी केंद्रों तक ही सीमित होता है। ● मतदाता अलग-अलग दलों को

अधिकतम कर सकता है। ● राष्ट्रीय दल उन राज्यों में समर्थन हासिल करने के लिए अपने ब्रांड पहचान और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का लाभ उठा सकती हैं जहाँ वे पारंपरिक रूप से प्रभावी नहीं हैं। ● 2015 के IDFC अध्ययन में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, तो केंद्र में जीतने वाले राजनीतिक दल को राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भी वोट दिए जाने की संभावना 77 प्रतिशत है।	तभी चुनते हैं जब विधानसभा और राष्ट्रीय आम चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। ● 2019 के आम चुनावों में दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत, उसके ठीक एक साल बाद 2020 में राज्य चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत, इसे रेखांकित करती है। ● आलोचकों का तर्क है कि एकसाथ चुनाव से सत्ता राष्ट्रीय पार्टियों के हाथों में और अधिक केंद्रीकृत हो सकती है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय आवाज़ों की स्वायत्तता और विविधता संभावित रूप से कम हो सकती है।

2019 में कुछ राज्यों में एकसाथ हुए चुनावों से पता चलता है कि जब एकसाथ चुनाव होते हैं तो मजबूत क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनावों में लाभ होता है।

Party	2019 Assembly Polls	2019 Lok Sabha Polls	Difference
ANDHRA PRADESH (in crore)			
YSRCP	1.56	1.55	-0.01
TDP	1.23	1.25	0.02
JANA SENA	0.17	0.18	0.01
ARUNACHAL PRADESH (in lakh)			
BJP	3.15	3.79	0.64
INC	1.04	2.45	1.41
PPA	0.11	0.27	0.16
ODISHA (in crore)			
BJD	1.04	1.01	-0.03
BJP	0.76	0.91	0.15
INC	0.37	0.32	-0.05
SIKKIM (in lakh)			
SKM	1.65	1.66	0.01
SDF	1.67	1.54	-0.13
BJP	0.06	0.16	0.10
TELANGANA (in crore)			
Party	2014 Assembly Polls	2014 Lok Sabha Polls	Difference
TRS	0.66	0.67	0.01
BJP + TDP	0.35	0.43	0.08
INC	0.48	0.47	-0.01

9. क्या एक राष्ट्र - एक चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छा है?

लोकतंत्र के लिए अच्छा है	लोकतंत्र के लिए चिंता
● कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय, क्यूबेक, कनाडा के प्रोफेसर सीसाबा निकोलेनी द्वारा	● एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ सबसे बड़ी चिंता सरकारों को नियमित आधार पर नागरिकों के प्रति जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था का

किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यह पाया गया है कि भारत में अलग-अलग चुनाव कराने की वर्तमान प्रथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को हतोत्साहित कर रही है।

- शेकेल और डेंडोय द्वारा किए गए एक शोध में, यह प्रदर्शित किया गया है कि एकसाथ चुनाव मतदाता के मतदान पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

क्षरण है।

- प्रत्येक पाँच साल में एक चुनाव होने से राजनीतिक दल अधिक गैर-जिम्मेदार और निहित स्वार्थों के एजेंडे को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो जायेंगे। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और देश को वर्तमान में चुनावों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत से कहीं अधिक नुकसान होगा।
- एक राष्ट्र एक चुनाव त्रिशंकु विधानसभाओं को संबोधित करने, दल-बदल विरोधी और विधायकों/सांसदों की खुली खरीद-फरोख्त का मार्ग प्रशस्त करने में अपर्याप्त हो सकता है।
- एक राष्ट्र एक चुनाव विधायिका को आवश्यक रूप से पाँच साल तक पद पर बने रहने के लिए मजबूर करके लोगों द्वारा लोकतांत्रिक शक्ति के प्रयोग का अतिक्रमण करता है, भले ही सरकार लोगों का विश्वास खो दे। यह इस विचार को भी ध्वस्त कर देता है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है
- समवर्ती (एकसाथ) चुनाव केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित लाभ देंगे।

10. UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए विषय की प्रासंगिकता क्या है?

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

● एकसाथ चुनाव, नगर पालिकाएँ और पंचायतें, भारत का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, अनुच्छेद **356**।

मुख्य परीक्षा के लिए:

- सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र **2:** शासन, चुनाव सुधार।
- एकसाथ चुनाव, महत्त्व और चुनौतियाँ।

विगत् वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (**2020**)

1. भारत के संविधान के अनुसार मत (Vote) देने के योग्य व्यक्ति को छह महीने के लिए किसी राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।

2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** के अनुसार, किसी आपराधिक/फौज़दारी अपराध (criminal offense) के लिए दोषी ठहराया गया और पाँच साल के कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं**?**

(a) केवल **1**

(b) केवल **2**

(c) **1** और **2** दोनों

(d) न तो **1**, न ही **2**

उत्तर. (d)

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (**2017**)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।

2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उप-चुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।

3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं**?**

(a) केवल **1** और **2**

(b) केवल **2**

(c) केवल **2** और **3**

(d) केवल **3**

उत्तर (d)

विगत वर्षों मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न

Q1. 'लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एकसाथ चुनाव कराने से चुनाव
प्रचार में खर्च होने वाले समय और धन की मात्रा सीमित हो जाएगी लेकिन इससे
लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।' चर्चा कीजिए। *(2017)*

इस वर्ष और पिछले वर्षों के साक्षात्कार प्रतिलेखों से कुछ प्रश्न

बोर्ड दिनेश दास सरः

- एकसाथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बारे में बताएँ।
- इसका असर क्या होगा?
- क्या आपने रिपोर्ट देखी है या आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं?

बोर्ड दिनेश दास सरः

- क्या आप सोचते हैं कि हम एकसाथ चुनाव करा सकते हैं?

बोर्ड दिनेश दास सरः

- एक राष्ट्र, एक चुनाव पर लम्बा एकालाप (monologue)।
- फिर पूछा... यदि मैं आपको डीएम के रूप में नियुक्त करता हूँ, तो आप एकसाथ चुनाव कराने के लिए एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाएँगे?

बोर्ड आरएन चौबे सर:

- एकसाथ चुनाव कराने पर आपकी राय?

बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर:

- एकसाथ चुनाव कराने पर चर्चा कीजिए

क्विज़ के लिए कुछ प्रश्न

Q1. रामनाथ कोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) एकसाथ चुनाव

(b) मणिपुर हिंसा

(**c**) **MSP** का वैधीकरण

(**d**) लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना

उत्तर. (**a**)

Q2. निम्नलिखित चुनावों पर विचार कीजिए:

1. राज्यसभा और राज्य विधान सभा चुनाव

2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव

3. पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव

4. राज्य विधान सभा चुनाव

5. लोकसभा चुनाव

उपरोक्त में से कितने चुनावों को एकसाथ चुनावों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा**?**

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(**a**) केवल दो

(**b**) केवल तीन

(**c**) केवल चार

(**d**) सभी पाँच

उत्तर. (**b**)

आपका मत जानने के लिए कुछ प्रश्न

Q1. क्या भारत ON-OE (एक राष्ट्र, एक चुनाव) के लिए तैयार है?

(a) हाँ

(b) नहीं

(c) नहीं कह सकता.

Q2. क्या ON-OE का क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव पड़ेगा?

(a) हाँ

(b) नहीं

(c) नहीं कह सकता.

Q3. क्या ON-OE लोकतंत्र के लिए अच्छा है?

(a) हाँ

(b) नहीं

(c) नहीं कह सकता.

. . . .